न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी (अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट) बांसवाड़ा (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी – अभिषेक गोयल, RAS

प्रकरण संख्या : 41/2025
रजिस्ट्रेशन नं. : 2025/47

राजस्थान राज्य जरिये श्री शशिकांत शर्मा खाद्य सुरक्षा अधिकारी बॉसवाडा (राज)	बनाम	अभियुक्त :– श्री कुतुबुद्दीन बोहरा पुत्र श्री अजीज भाई निवासी कसारवाडी, सज्जनगढ, बांसवाडा (विक्रेता/ मालिक) मैसर्स अजीज भाई ताहेर भाई, स्कुल रोड कसारवाडी, सज्जनगढ, बांसवाडा (राज.)

अपराध अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(ii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006, नियम 2011

निर्णय

दिनांक 25–08–2025

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि **श्री शशिकांत शर्मा** खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बॉसवाडा (राज.) के द्वारा दिनांक 22–07–2025 को यह प्रकरण इस आशय का पेश किया गया कि दिनांक 26–11–2024 को दौराने निरीक्षण 3.30 पी.एम. बजे बाहैसियत खाद्य सुरक्षा अधिकारी खाद्य पदार्थो की जॉंच हेतु **मैसर्स अजीज भाई ताहेर भाई, स्कुल रोड कसारवाडी, सज्जनगढ, बांसवाडा** पर पहुंचा तो वहॉं पर **श्री कुतुबुद्दीन बोहरा पुत्र श्री अजीज भाई** मिले **विक्रेता की उपस्थिति में परिसर** का निरीक्षण करने पर खाद्य पदार्थ घी **(अरिहन्त) के 500 एम.एल के 11 जार रखे हुए थे। जिसको एफ.एस. एस.ए 2006 के तहत देखने पर मानक स्तर का नही होने एवं मिलावट का** शक होने पर विक्रेता को गवाहान की उपस्थिति में फार्म नं.5ए पर सूचना देते हुए **घी (अरिहन्त) के 4 जार प्रत्येक 500 एम.एल के** वास्ते नमुना जॉच हेतु खरीदा तथा इनकी कीमत 1280/– रु. विक्रेता को नगद चुका कर रसीद प्राप्त की। जिस पर विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। नमुना जॉच हेतु खरीदशुदा **घी (अरिहन्त) के कुल 4** किलोग्राम के चार भाग तैयार कर प्रत्येक भाग पर तैयार किये गये लेबल, जिस पर डीओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhishek Goyal
Date: 2025.09.18 11:40:08 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति.जिला मजिस्ट्रेट)
बांसवाड़ा (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

बॉसवाडा का कोड क्रमांक **W-1996** प्रत्येक नमूना भाग पर चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी व सील बंद किया गया। प्रत्येक नमूना भाग पर मालिक एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाये। सील बंद नमूनो पर गवाहो के हस्ताक्षर कराकर नमूने का सम्पूर्ण विवरण लिखकर हस्ताक्षर कर चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर मौका फर्द रिर्पोट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर, सुनाकर, हस्ताक्षर करने को कहा, जिन्होने स्वयं ने भी पढकर, सुनकर, समझकर एवं सही मानकर हस्ताक्षर किये स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये।

कार्यालय पहुचकर फार्म नंबर 6 की प्रतियाँ तैयार की प्रत्येक पर सील मोहर कर एक नमूना मय फार्म न. 6 की एक प्रति आउटर कवर में चपडी से सील मोहर कर, दो फार्म न. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफा में बन्द कर, चपडी से सील मोहर कर दो सीलबन्द नमूना तथा शेष नमूने का चौथा भाग मय फार्म नं. 6 की प्रतिया आउटर कवर में चपडी से सील बन्द कर, सील मोहर कर अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा एवं खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा को जमा करवाया।

अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा के पत्रांक **एफ.एस.एस.ए/2024/446 दिनांक 20–12–2024** एव खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक **1445 दिनांक 10–12–2024** अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया गया **घी (अरिहन्त)** का नमुना कोड क्रमांक **W-1996** Substandard food under section 3(1)(zx) of food safety and standerds act 2006 पाया गया। उक्त नमुने की पुनः जांच हेतु विक्रेता द्वारा पुनः निर्धारित समयावधि में अपील नही की गयी।

विक्रेता द्वारा **घी (अरिहन्त)** का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिस पर उक्त अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत जुर्माने से दण्डित करने निवेदन किया।

प्रकरण दिनांक 22–07–2025 को दर्ज [illegible] किया जाकर आरोपी को जरिये समन तलब किया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Abhishek Goyal
Date: 2025.09.18 11:40:08 IST
Reason: Self Attested

दिनांक 25–08–2025 को आरोपी ने उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर परिवाद में अंकित आरोपो को स्वीकार कर निवेदन किया कि भविष्य में इस प्रकार की कोई गलती

न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति.जिला कलक्टर)
बांसवाड़ा (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

की पुनरावृति नही की जायेगी नरमी का रुख अपनाते हुए कम से कम जुर्माना लगाये जाने निवेदन किया।

आरोपी की ओर से अपराध स्वीकार किया गया है अतः किसी अन्य साक्ष्य की आवश्यकता प्रतित नही होती है। हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं उस पर मनन किया। अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाड़ा के पत्रांक **एफ.एस.एस.ए/2024/446 दिनांक 20–12–2024** एव खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक **1445 दिनांक 10–12–2024** अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया गया **घी (अरिहन्त)** का नमुना कोड क्रमांक **W-1996** Substandard food under section 3(1)(zx) of food safety and standerds act 2006 पाया गया है। इस कारण प्रकरण का अंतिम निस्तारण किया जाना हम उचित समझते है।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(zx) के तहत सब स्टेण्डर्ड पाया गया **घी (अरिहन्त)** को विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन होना पाया गया। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम–2006 की धारा 51 में निर्धारित है। अतः आरोपी को दोष सिद्ध घोषित किया जाकर अप्रार्थी **श्री कुतुबुद्दीन बोहरा पुत्र श्री अजीज भाई निवासी कसारवाडी, सज्जनगढ, बांसवाडा (विक्रेता/ मालिक) मैसर्स अजीज भाई ताहेर भाई, स्कुल रोड कसारवाडी, सज्जनगढ, बांसवाडा (राज.)** को **रूपये 15000/– (अक्षरे पंद्रह हजार रुपया मात्र) से दण्डित कर** खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के 3.1.2 के बिन्दू संख्या 3 में उल्लेखित आय मद 0210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 04–लोक स्वास्थ्य, 800–अन्य प्राप्तियां, (03)–खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा–पत्र शुल्क आदि में उक्त जुर्माना राशि तीन दिवस में राजकोष में जमा कराकर चालान की प्रति इस न्यायालय में पेश करने आदेश जारी किये।

निर्णय आज दिनांक 25–08–2025 खुले न्यायालय सुनाया गया।

(अभिषेक गोयल)
न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति. जिला कलक्टर)
(अति. जिला मजिस्ट्रेट)
बांसवाड़ा (राज.)

न्याय निर्णयन अधिकारी (अति. जिला कलक्टर) बांसवाड़ा (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Abhishek Goyal
Date: 2025.09.18 11:40:08 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner